प्रकरण संख्या 2/2013 वाला बनाम कालिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध पेश शुदा घोषणा एवं विभाजन के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वीरजी के तीन पुत्र नाथीया, लाबा व हेमा हुए तथा तीनों पुत्रों का समान 1/3, 1/3 हिस्सा था, जबकि राजस्व रेकार्ड में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि हुई है। अर्थात वादी/अपीलान्ट पर यह भार था कि वह यह प्रमाणित कराता कि भूमि वीरजी के समय की हैं, जबकि इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। हालांकि प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा सजरा अवश्य प्रमाणित करवाया गया है, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये तनकीवार निर्णय से प्रमाणित है, परन्तु वादीगण द्वारा वीरजी के समय ही भूमियां होना प्रमाणित नहीं कराया गया है, न अपील स्तर पर भी इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार आख्यापक निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमियां मौरूसी होना नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2012 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 2/2013 वाला बनाम कालिया

प्रकरण संख्या 2/2013 वाला बनाम कालिया